317hi36

36

लोक शिकायत तथा निवारण तंत्र

जनतंत्र में जनता सरकार का गठन करती है तथा उसे उसके उत्तरदायित्वों का बोध कराती है। सरकार का संचालन वेतनभोगी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। प्राय: सरकारी कर्मचारी लोगों की सहायता करने की अपेक्षा कायदे-कानून को ज्यादा तूल देने लगते हैं। यहाँ तक कि अफसरशाह भी तथ्यों को गुप्त रखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जल, बिजली, रेल, दूरभाष आदि विभाग अपने ही अधिकार और नियम से चलते हैं। जनता की इन शिकायतों का निवारण सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है, नहीं तो ऐसा न होने पर जनता सरकार के प्रति अपनी निष्ठा त्याग देगी। इसलिए लोक शिकायतों के निवारण हेतु एक निवारण तंत्र की स्थापना की जाती है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- जनतंत्र में लोक शिकायतों के निवारण के महत्त्व का विश्लेषण कर सकेंगे;
- लोक शिकायतों के निवारण में काम आने वाले विविध उपकरणों की व्याख्या कर सकेंगे;
- लोकपाल तथा लोकायुक्त की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे; और
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्य एवं भूमिका पर प्रकाश डाल सकेंगे।

36.1 जनतंत्र में लोक शिकायतों के निवारण का महत्त्व

भारत जैसे विकासशील देश की सरकार को बहुत सारे कार्यों का निष्पादन करना होता है। देश के नागरिक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक, पोस्ट आफिस, रेलवे, अस्पताल आदि सुविधाओं पर निर्भर होते हैं। जनता को सरकारी दुकानों से चावल, गेहूं, चीनी जैसी खाद्य सामग्री खरीदने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राशनकार्ड बनवाना होता है। राशनकार्ड बनवाना इतना आसान नहीं होता। उसे बनवाने के लिए एक समुचित प्रक्रिया निर्धारित है। इसी प्रकार की अन्य कई दूसरी सुविधाएं भी हैं। इनमें से अधिकांश सुविधाओं की गुणवत्ता असंतोषजनक होती है। आम नागरिकों को जीवन की अनेक सेवाओं एवं सुविधाओं के लिए सरकार के विविध विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है।

सरकारी विभागों में जनता के लिए कठिनाइयों का सामना करना आम बात है। कायदे-कानून तो बहुत सारे निर्धारित हैं किंतु उनका पालन बहुत कम ही हो पाता है। रेलगाड़ियां अथवा बसें कभी भी अपने निर्धारित समय पर नहीं चलतीं। बैंक, अस्पताल तथा पुलिस जनता के साथ सहयोग नहीं करते। सरकारी विभागों द्वारा कार्यों को लंबित करने अथवा जनता को तंग करने की प्रवृत्तियों के चलते सरकार स्वयं ही बदनाम होती है।

सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही विविध सुविधाओं का प्रावधान करती है। किंतु दिक्कत यह है कि जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों के चलते जनता सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाती। इनमें गरीब लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक सरकारी सहायता तथा सेवाओं की आवश्यकता गरीब लोगों को ही होती है किंतु लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच नहीं पातीं और उन्हें तरह-तरह से तंग किया जाता है। यह जनतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है। अधिकांश नागरिकों की मंशा यही होती है कि उन्हें सहयोगी तथा संवेदनशील लोक प्रशासन उपलब्ध हो। आज सरकारी विभागों के खिलाफ इतनी लोक शिकायतें दर्ज हैं कि उनके निवारण के लिए एक निश्चित मापदंड तय करना पड़ेगा।

लोक शिकायतों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए 1966 में 'लोक शिकायतों के निवारण की समस्या' पर एक रिपोर्ट तैयार की गई तथा सरकार ने इस आधार पर 'प्रशासनिक सुधार आयोग' का गठन किया। आयोग ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया:

''यदि कोई नागरिक अपनी समस्या दर्ज कराता है तो सरकार उसकी समस्या के संबंध में जांच करेगी तथा उसके अध्ययन के पश्चात जनतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसका निवारण करेगी। यह एक ऐसे संगठन के रूप में कार्य करेगा जिससे अधिकांश जनता के मन में आस्था पैदा हो सके तथा उन्हें जल्दी और कम खर्चे में समुचित न्याय मिल सके''।

36.2 लोक शिकायत निवारण के उपकरण

प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने तथा लोक शिकायतों के निवारण हेतु बहुत सारे कानून तथा प्रक्रियाओं का निर्माण किया गया है, तथा इन्हें लागू करने का प्रावधान भी बनाया गया है। इनके अतिरिक्त विभिन्न देशों में कई नए संगठनों का गठन किया गया है।

लोक शिकायतों के निवारण हेतु सबसे पहली संस्था का प्रमाण स्कैंडेनेविया में मिलता है, जिसे 'ओम्बड्समैन' के नाम से जाना है। ओम्बड्समैन का कार्यालय स्वीडेन में 1809 से फिनलैंड में 1919 से, डेनमार्क में 1955 से, नार्वे तथा न्यूजीलैंड में 1962 से कार्य कर रहा है तथा इंगलैंड में संसदीय संस्थाओं में प्रशासनिक आयोग का गठन 1967 में किया गया। ओम्बड्समैन के गठन के बाद दुनिया के अधिकांश देशों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

ओम्बड्समैन एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है, एक ऐसा अधिकारी जो विधायिका द्वारा नियुक्त किया गया हो और वह प्रशासन तथा न्याय संबंधी शिकायतों का निबटारा करता है। ओम्बड्समैन एक अन्वेषक होने के नाते दर्ज शिकायतों से संबंधित जांच करता है तथा फिर उसकी रिपोर्ट विधायिका को भेजता है। शिकायतें प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ सीधे ओम्बड्समैन के नाम भेजी जाती हैं। अपनी सहज तथा तेजी से कार्य करने की प्रकृति के चलते ही ओम्बड्समैन प्रसिद्ध हुआ। यह प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ अपील करने का बहुत सस्ता साधन होता है।

भारत में जब किसी नागरिक को कोई वस्तु अथवा सेवा ठीक रुप इसमें नहीं मिलती तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की शरण ले सकता है। हमारी संसद ने सूचना अधिकार अधिनियम पारित करके यह अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उसके द्वारा की गई शिकायत का क्या हुआ।

36.3 भारतीय उपकरण

भारत में प्रशासन से संबंधित शिकायतों के निबटारे के लिए कुछ विशेष प्रकार की समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी लोक शिकायतों के निबटारे में लगी हुई हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तथा उससे किसी नागरिक को परेशानी उठानी पड़ती है तो वह किसी भी अदालत में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

यह न्यायिक निवारण कहलाता है। इस प्रकार की शिकायतों के सस्ते तथा तेजी से निवारण के लिए कई प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों का भी गठन किया गया है। इनमें से आयकर अपील न्यायाधिकरण, मजदूर न्यायाधिकरण प्रमुख हैं।

दूसरा, संसद में कोई भी संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों को उठा सकता है। इसके अलावा एक संसदीय समिति का भी गठन किया गया है जो इस तरह की शिकायतों का निबटारा करती है। इस समिति को याचिका समिति कहते हैं। कोई भी नागरिक इसमें न्याय के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रकार संसद अथवा विधान मंडल इस प्रकार की दर्ज शिकायतों पर कार्यवाही का विचार कर सकती है।

तीसरा, लोक सेवक (निरीक्षण) अधिनियम के तरह विभागीय तथा सार्वजनिक पूछताछ के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके दुर्व्यवहार पर दण्डित करने का प्रावधान है। दिन-प्रतिदिन के मामले तो नहीं लेकिन कुप्रशासन के महत्वपूर्ण मसले इन कानून के दायरे में आते हैं।

चौथा, लोक शिकायतों के निबटारे के लिए विभिन्न स्तरों पर शिकायत फोरमों का गठन किया गया है। उदाहरण के लिए, रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टैंडों पर लोक शिकायतें दर्ज करने के लिए शिकायत पेटियां रखी होती हैं। आजकल तो किसी दुकानदार द्वारा गलत सामान बेचे जाने के खिलाफ शिकायतें सुनने के लिए उपभोक्ता केन्द्रों की स्थापना की गई है जहाँ लिखित अथवा टेलीफोन द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। रेलवे, टेलीफोन जैसे विभागों में तो उनसे संबंधित अलग से एक शिकायत केंन्द्र बनाए गए होते हैं।

पाठगत प्रश्न 36.1

रिक्त स्थान भरिए :

(क) नागरिकों द्वारा सरकारी तंत्र के खिलाफ दर्ज शिकायतों को सुनना तथा उसका .... शिकायत फोरमों द्वारा किया जाता है। (निवारण/परीक्षण)

(ख) हर .... में लोक शिकायतों को सुनने तथा उनके निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र का गठन किया जाता है। (तानाशाही/लोकतंत्र)

(ग) .... संगठन स्कैंडेनेविया ने स्थापित किया था। (लोकपाल/ओम्बड्समैन)

(घ) भारत का कोई भी नागरिक किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ अपनी शिकायत .... में दर्ज करा सकता है। (राष्ट्रपति/अदालत)

(ङ) अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी शिकायत को कोई भी सांसद ...... में उठा सकता है। (अदालत/संसद)

(च) लोक शिकायतों के निबटारे के लिए शिकायत .... की व्यवस्था भी की गई है। (सेल/फोरम)।

36.3 लोकपाल तथा लोकायुक्त

लोक शिकायतों के निबटारे के लिए जिन उपर्युक्त तरीको और संगठनों के गठन की बात कही गई है, वे बहुत ही खर्चीली तथा विलंब से निर्णय देने वाले साबित हो चुके हैं। ये किसी नागरिक द्वारा सरकार

अथवा राजनेता के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों का तेजी से निबटारा करने में ज्यादा सफल नहीं रही हैं। इसकी पृष्ठभूमि में प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी-1966) ने अपनी निम्नलिखित टिप्पणियां दी थीं:

''...... विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने देश की जनता द्वारा दायर शिकायतों की उचित सुनवाई के लिए हमने दो विशेष संगठनों का गठन किया है। एक संगठन केंद्र तथा राज्य स्तर के मंत्री तथा सरकार के सचिवों के खिलाफ जनता द्वारा दायर प्रशासनिक शिकायतों की सुनवाई करेगा। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर दूसरा संगठन होगा, जो बाकी प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित लोक शिकायतों का निबटारा करेगा। ये संगठन कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के दबावों से मुक्त होंगें।'' प्रशासनिक सुधार आयोग ने पहली शाखा को लोकपाल तथा दूसरे को लोकायुक्त का नाम दिया है।

अनेक प्रयासों के बावजूद संसद में लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों-कांग्रेस और गैर-कांग्रेसी सरकारें लोकपाल के मामले में सच्ची और गंभीर नहीं हैं; बावजूद इसके के वे हमेशा ऐसा प्रचारित करते और स्वच्छ प्रशासन देने का वादा करते रहे हैं। लोकपाल की कार्यशैली आलोचना का विषय बनी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या लोकपाल केवल भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की ही जांच करेगा अथवा जनता की सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई अन्यायपूर्ण हरकतों अथवा कुप्रशासन संबंधी शिकायतों का भी निवारण करेगा। लोकपाल विधेयक सभी राजनीतिक दलों की निर्विरोध सहमति के द्वारा ही पास हो सकता है। अब यह उम्मीद बनी हुई है कि जल्दी ही सरकार संसद में इस पर कोई सार्थक निर्णय ले सकेगी।

लोकायुक्त

हालांकि केन्द्र में लोकपाल पद की स्थापना नहीं हो पाई है लेकिन कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली ने ए आर सी द्वारा बताए गए सुझाव के आधार पर लोगों की शिकायत निवारण हेतु लोकायुक्त पद स्थापित किए हैं। 1971 में महाराष्ट्र में सबसे पहले इसके लिए कानून बनाया गया। दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र की तर्ज पर लोकायुक्त को राज्य के मंत्रियों, सचिवों एवं अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की पड़ताल करने का अधिकार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कानून 1983 के खंड 12 में प्रावधान है कि, ''शिकायत की जांच के बाद अगर किसी अधिकारी को लोकायुक्त आंशिक या पूर्णरूपेण दोषी पाए तो लिखित रूप में अनुशंसा और रपट सम्बद्ध सक्षम अधिकारी को दे।'' सम्बद्ध अधिकारी रपट को परीक्षण कर कार्रवाई की क्रिया समेत सूचना लोकायुक्त को देगा। यह ध्यान देने की बात है कि लोकायुक्त मात्र अनुशंसा करता है। इसके अनुशंसा को न तो कानूनी मान्यता है और न ही ये बाध्यकारी होते हैं। अपराध के संदर्भ में अंतिम निर्णय का अधिकार सक्षम सरकारी पदाधिकारी के पास ही होता है।

36.4 केन्द्रीय सतर्कता आयोग

देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए भारत सरकार ने 1962 में के संथानम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था। संथानम आयोग ने केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में एक सतर्कता आयोग के गठन हेतु सिफारिशें पेश की थीं। किन्तु आज तक सिर्फ केन्द्र स्तर पर ही एक उच्च स्तरीय सतर्कता आयोग का गठन हो पाया है। विभिन्न सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता सेल का गठन किया गया है। सर्वोच्च स्तर पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग है।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी.वी.सी.) का अध्यक्ष सतर्कता आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों के लिए की जाती है। वह अपने पद पर अपने कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की उम्र तक बना रहता

है। सतर्कता आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। सतर्कता आयुक्त के सहयोग के लिए उसके अधीन एक सचिव, एक विशेष अधिकारी, एक मुख्य तकनीकी आयुक्त, तीन विभागीय जांच आयुक्त, दो अवर सचिव तथा 6 तकनीकी आयुक्त होते हैं। इसके कार्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, कारपोरेट संस्थाओं और संगठनों के कर्मचारी आते हैं जो केन्द्र के कार्यकारिणी अधिकारों के अन्तर्गत आते हैं। सतर्कता आयोग मंत्रियों तथा सांसदों के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतें सीधे सतर्कता आयुक्त को भेज सकता है। हालांकि आयोग प्रेस द्वारा, संसदीय बहसों से प्राप्त सूचनाओं, लेखा संबंधी आपत्तियों तथा दूसरे कई संगठनों के माध्यम से भी विभिन्न विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार, कुप्रशासन अथवा कुरीतियों संबंधी सूचनाएं इकट्ठी करता है। यदि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित कोई शिकायत राज्य सतर्कता आयुक्त को प्राप्त होती है तो वह उसके निवारण हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भेज देता है। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने के बाद आयोग निम्नलिखित कार्रवाई करता है:

(क) संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग से पूछताछ करता है।

(ख) सी.बी.आई. को इस पर जांच हेतु सिफारिश करता है।

(ग) सी.बी.आई. इससे संबंधित एक शिकायत दर्ज करती है तथा जांच करना शुरू कर देती है। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया के लिए समुचित अधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है।

शिकायत मिलने पर की जाने वाली कार्यवाही संबंधी तरीकों के विषय में दिशा निर्देश सीवीसी ने बनाए हैं जिसका पालन विभिन्न मंत्रालय और विभाग करते हैं। इन शिकायतों पर कार्यवाही संबद्ध मंत्रालय/विभाग करते हैं। सतर्कता आयोग संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को संपूर्ण मामलों में प्रशासनिक ईमानदारी से संबंधित सुझाव अथवा हिदायतें दे सकता है। आयोग जांच के पश्चात संबदध मंत्रालय अथवा विभाग को अपनी रिपोर्ट देने को कह सकता है ताकि आयोग भ्रष्टचाचार विरोधी गतिविधियों पर नजर रख सके। यह किसी अग्रिम कार्यवाही के लिए किसी शिकायत को अपने अंतर्गत ले सकता है।

इसके अलावा केन्द्रीय सतर्कता आयोग सभी मंत्रालयों तथा विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके लिए नियुक्तियों से पूर्व सतर्कता आयुक्त का परामर्श लेना पड़ता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों का निर्धारण भी केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ही करता है। सतर्कता संगठन को और अधिक मजबूत बनाने संबंधी सतर्कता संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी सुझावों को सतर्कता अधिकारी विचार हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पास भेजता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियां सीमित होती हैं, क्योंकि यह कोई वैधानिक संगठन नहीं है। यह सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसके जांच-पड़ताल करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि लोग इसकी प्रतीक्षा में निराश हो जाते हैं। इसके बारे में सही कहा जाता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग कभी भी ओम्बड्समैन का विकल्प नहीं हो सकता। यह आयोग एक प्रकार से केन्द्रीय प्रशासन, मंत्रालयों, विभागों, राजनीतिक शक्तियों तथा केन्द्र सरकार के दबावों के चलते इसकी जांच प्रक्रिया दिनों-दिन इतनी धुंधली होती जा रही है कि यह भी एक प्रकार से केन्द्रीय प्रशासन का ही एक उपकरण बन कर रह गया है।

पाठगत प्रश्न 36.2

रिक्त स्थान भरिए :

(क) मंत्रियों तथा सचिवों के खिलाफ दर्ज शिकायतों के निबटारे के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने..........................तथा..........................के गठन की सिफारिश की थी। (लोकपाल / ओम्बड्समैन / लोकायुक्त / संसदीय समितियां)

(ख) ....में लोक आयुक्त का गठन किया जा चुका है। (महाराष्ट्र / तमिलनाडु)

(ग) ....समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के गठन का सुझाव किया था। (संथानम / राधाकृष्णन)

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका..है। (विस्तृत / सीमित)

आपने क्या सीखा

सरकारी तंत्र के खिलाफ नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को सुनना तथा उनका निवारण करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता सरकार के प्रति अपनी निष्ठा खो देगी। प्रत्येक जनतांत्रिक देश में लोक शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र की व्यवस्था की जाती है। भारत में यदि कोई सरकारी कर्मचारी अथवा विभाग अपने कर्त्तव्यों के पालन में लापरवाही करता है अथवा कोई गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ जनता द्वारा अदालत में शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को न्यायिक निवारण कहा जाता है। इसके अलावा लोक शिकायतों से संबंधित प्रश्नों को संसद के सदन में भी उठाए जाने का प्रावधान है तथा इसके लिए एक अलग से याचिका समिति नामक एक संसदीय समिति का भी गठन किया गया है। लगभग हर विभाग में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जा रही विविध गड़बड़ियों के खिलाफ शिकायतों के निबटारे के लिए विभागीय सतर्कता सेलों का भी गठन किया गया है। लोक शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के शिकायत फोरमों का भी गठन किया गया है। 1966 में प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकपाल तथा लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी। किंतु अभी तक केन्द्र अथवा राज्य स्तर पर मंत्रियों अथवा सचिवों के खिलाफ दर्ज शिकायतों के निवारण हेतु लोकपाल का गठन संभव नहीं हो सका है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार के विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचारों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। लोक शिकायतों के निवारण हेतु अन्य कई प्रकार के दूसरे संगठन भी गठित किए गए हैं।

पाठांत प्रश्न

1. जनतंत्र में लोक शिकायतों का निवारण बहुत महत्वपूर्ण क्यों है?
2. लोक शिकायत के कौन-कौन से विविध निवारक उपकरण हैं?
3. लोकपाल तथा लोकायुक्त की क्या भूमिका होती है?
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की क्या भूमिका होती है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

36.1

(क) निवारण (ख) लोकतंत्र (ग) ओम्बड्समैन (घ) अदालत (ङ) संसद (च) फोरम।

36.2

(क) लोकपाल तथा लोकायुक्त (ख) महाराष्ट्र (ग) संथानम (घ) सीमित।

पाठगत प्रश्नों के संकेत

1. खंड 36.3 देखें
2. खंड 36.4 देखें
3. खंड 36.5 देखें
4. खंड 36.6 देखें

विस्तृत ज्ञान

1) मोहित भट्टाचार्य-पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनः- स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड विहेवियर, कलकत्ता, वर्ल्ड प्रैस, 1987

2) विद्या भूषण, विष्णू भगवान- इंडियन एडमिनिस्ट्रेशनः नई दिल्ली, एस चांद एंड कं; 1974

3) अवस्थी और महेश्वरी-पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनः आगरा, एल. एन. अग्रवाल, 1980

4) रूमकी बसु-पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कन्सैप्ट्स, कन्सैप्ट्स एण्ड थ्योरीजः नई दिल्ली, स्टर्लिंग

प्रश्नपत्र प्रारूप

विषय : राजनीतिक विज्ञान **कक्षा : उच्चतर माध्यमिक**

अंक : 100 **समय : 3 घंटे**

1. उद्देश्यानुसार अंक वितरण

उद्देश्य	**अंक**	**प्रतिशत : कुल अंक**
ज्ञान	35	35%
बोध	45	45%
अनुप्रयोग	20	20%
कुल	100	100%

2. प्रश्नों के प्रकार के अनुसार वितरण

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	4 × 8	32
लघूत्तरात्मक	10 × 5	50
अति लघु उत्तरीय	9 × 2	18

3. विषयानुसार अंकवितरण

	इकाई / उप-इकाई	**अंक**
1.	व्यक्ति राज्य और विश्व व्यवस्था	09
2.	भारतीय संविधान के विभिन्न पहलू	15
3.	सरकार के अंग : केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर	15
4.	लोकतंत्र की कार्य प्रणाली	09
5.	सरकार का संगठन	12
6.	लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	10
	वैकल्पिक माड्यूल	
1.	भारतीय राजनीति के कुछ उभरते मुद्दे	10
	अथवा	OR
2.	भारत में स्वाधीनता संघर्ष और संवैधानिक विकास	10
	कुल	**100**

सैम्पल (प्रश्न पत्र–1)
राजनीति विज्ञान

समय-3 घंटे	**अधिकतम अंक–100**

सामान्य निर्देश-

- प्रश्न पत्र के दो भाग 'क' एवं 'ख' हैं।
- केन्द्रिक माड्यूल (खण्ड-क) के सभी प्रश्न अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को 'ख' भाग में चयन की सुविधा है। उन्हें विकल्प-1 अथवा विकल्प-2 में से प्रश्नों को हल करना होगा।
- प्रत्येक प्रश्न और उसके प्रत्येक भाग के अंकों को प्रश्न के सामने ही दर्शाया गया है।

भाग (क)

1. राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। 2

2 उदारवाद का क्या अर्थ है? 2

3. राज्य के दो अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। 1+1

4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? 2

5. गणतंत्र को परिभाषित कीजिए। 2

6. उच्चम न्यायालय के न्यायधीशों की किन्हीं दो योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। 1+1

7. सम्प्रदायवाद का क्या अर्थ है? 2

8. दबाव समूह का क्या अर्थ है? 2

9. भारत और रूस के बीच सहयोग के किन्हीं दो क्षेत्रों की पहचान कीजिए। 1+1

10. भारत के संविधान की किन्हीं पांच प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5

11. भारत के राष्ट्रपति के कोई पांच कार्यपालिका संबंधी कार्य लिखिए। 5

12. भारत के निर्वाचन आयोग के कोई पांच कार्य लिखिए। 5

13. भारतीय दलीय व्यवस्था की किन्हीं पांच विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5

14. शासन को परिभाषित कीजिये तथा अच्छे शासन के मार्ग की किन्हीं तीन बाधाओं का उल्लेख कीजिए। 5

15. भारत की विदेश नीति के किन्हीं पांच आधारभूत सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। 5

16. पिछले दशक के दौरान भारत-पाकिस्तान संबंधों का वर्णन कीजिए। 5

17. राष्ट्र की परिभाषा कीजिए। राष्ट्रीयता के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। 2+6 = 8

अथवा

गांधीवाद के किन्हीं चार सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। $4 \times 2 = 8$

18. स्पष्ट करें कि भारतीय संविधान का रूप संघात्मक है परन्तु इसकी आत्मा एकात्मक है। 8

अथवा

संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए। 8

19. भारत का प्रधानमंत्री किस प्रकार नियुक्त किया जाता है? उसकी शक्तियों, स्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 8

अथवा

उच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र तथा स्थिति का परीक्षण कीजिए। $2 + 4 + 2 = 8$

20. भारतीय राजनीति में 'जाति' की भूमिका का परीक्षण/वर्णन कीजिए। 8

अथवा

भारत की आरक्षण नीति के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार लिखिए। 8

भाग-ख

मॉड्यूल 1

विकल्प I : विश्व व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र

21. एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? 2

22. संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं पांच सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए। 5

23. शान्ति स्थापित रखने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की नीतियों का विश्लेषण कीजिए।

अथवा

संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित संस्थाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

मॉड्यूल 2

विकल्प II: भारत की प्रशासनिक व्यवस्था

21. नौकरशाही का क्या अर्थ है? 2

22. जन शिकायतों को दूर करने के लिए सुझाए गए सुधारों की व्याख्या कीजिए।

23. संघीय लोक सेवा आयोग के संगठन, शक्तियों और स्थिति का आंकलन कीजिए। $2 + 2 + 4 = 8$

अथवा

कैबिनेट सचिवालय के मुख्य कार्यों का परीक्षण कीजिए। 8

अंकन योजना

भाग (क)

1. राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार कैसे थे, कैसे हैं और कैसे होने चाहिए–के विषय से संबंधित है।
2. उदारवादी सरकार में स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्धता का विचार है तथा व्यक्ति और समुदाय के जीवन का एक ढंग है।
3. राज्य के आवश्यक तत्व हैं–(i) जनसंख्या (ii) निश्चित भू-क्षेत्र, (iii) सरकार (iv) संप्रभुता (कोई दो)
4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों–न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव को व्यक्त करती है तथा भारत में सरकार के ढांचे को स्पष्ट करती है कि इसे लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र तथा लोगों की संप्रभुता पर आधारित होना है।
5. गणतंत्र का अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सरकार के प्रमुख को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है।
6. उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की दो योग्यताएँ हैं–(1) वह भारत का नागरिक होना चाहिए। (2) वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो अथवा प्रख्यात विधिवेत्ता हो।
7. साम्प्रदायिकता (सम्प्रदायवाद) का अर्थ है राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग करना।
8. दबाव समूह ऐसे हित समूह हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
9. भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग के दो क्षेत्र इस प्रकार हैं– (क) भारत की आर्थिक परियोजनाओं में रूस की आर्थिक सहायता; (ख) दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध।
10. भारत के संविधान की पांच आधारभूत विशेषताएँ हैं:- (i) यह बहुत विस्तृत संविधान है–मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे; (ii) यह आंशिक रूप से लचीला और कठोर है; (iii) यह संघात्मक है परन्तु इसकी आत्मा एकात्मक है; (iv) इसमें संसदीय सरकार का प्रावधान है; (v) इसमें एकल न्याय प्रणाली का प्रावधान है।
11. भारत के राष्ट्रपति की पांच कार्यपालिका शक्तियाँ इस प्रकार हैं– (i) राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है तथा उसकी सलाह पर अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है; (ii) वह राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करता है; (iii) वह सशस्त्र सेनाओं का मुख्य सेनापति होता है; (iv) वह राजदूत नियुक्त करता है तथा राजदूताों से उनके परिपत्र प्राप्त करता है; (v) वह अन्य देशों से आने वाले उच्चायुक्तों से उनके परिचय पत्र प्राप्त करता है।
12. निर्वाचन आयोग के पांच कार्य इस प्रकार हैं– (i) भारत में प्रत्येक प्रकार के चुनावों के लिए मतसूचियां तैयार करता है; (ii) सभी प्रकार के चुनावों में चुनाव मशीनरी का निरीक्षण करना; (iii) चुनाव की तिथियां निश्चित करना; (iv) राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह् बांटना; (v) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान करना।
13. भारतीय दलीय व्यवस्था की पांच विशेषताएं इस प्रकार हैं– (i) प्रमुख दलीय व्यवस्था जिसके नेतृत्व पर जोर होता है; (ii) बहुदलीय व्यवस्था; (iii) दल बदल की राजनीति; (iv) विपक्ष की भूमिका में वृद्धि; (v) क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका में वृद्धि।
14. शासन का संबंध जीवन की गुणवत्ता को सुधारने से जुड़ी शक्तियों, रणनीतियों, नीतियों, योजनाओं एवं कार्य योजनाओं से होता है।
15. (i) संयुक्त राष्ट्र में आस्था, (ii) गुट निरपेक्ष आन्दोलन में विश्वास, (iii) पंचशील की वकालत, (iv) सभी देशों और विशेषत: पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और शांन्तिपूर्ण सम्बंध, (v) विवादों को बातचीत द्वारा हल करना।

16. कारगिल, आतंकवाद और कश्मीर समस्या के बावजूद संबंधों में मैत्रीपूर्ण प्रयास, एक दूसरे देश में सरकार और राष्ट्राध्यक्षों के दौरे, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित सन्धियों पर हस्ताक्षर करना, जनसाधारण द्वारा एक-दूसरे देश में आने जाने के लिए बसों एवं ट्रेनों को चलाना।

17. राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह होता है जो प्राकृतिक रूप से एक-दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। राष्ट्रीयता के तत्व (1) साझा भूगोल, एक सा धर्म, साझी राजनीतिक इच्छाएं, साझी संस्कृति, इन तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करना होगा।

अथवा

गांधीवाद (क) अहिंसा, (ख) सत्य और सत्याग्रह, (ग) राम राज्य, (घ) राजनीति और धर्म के बीच निकटता, (ङ) ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त में विश्वास। उपरोक्त सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहिए।

18. भारत का संविधान आंशिक रूप से संघीय तथा आंशिक रूप से एकात्मक है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की सरकारों की विशेषताएं हैं परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें और यह निष्कर्ष निकालें कि भारत साधारणत: संघीय है और आपातकालीन स्थितियों में यह एकात्मक हो सकता है।

अथवा

परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे संघ और राज्यों के बीच संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्ति विभाजन पर प्रकाश डालें जैसा कि संविधान में प्रावधान है तथा यह दर्शायें कि संघीय सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है।

19. भारत ने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया है जिसमें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले दल अथवा दलों के गठबन्धन के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। संविधान में उल्लिखित राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को इनका संक्षिप्त वर्णन करना चाहिए। प्रधान मंत्री कार्यपालिका का तथा सरकार का वास्तविक मुखिया होता है।

अथवा

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधोलिखित है–(a) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (b) कानून संबंधी प्रश्नों से जुड़े मामले (c) अधीनस्थ न्यायालयों पर निगरानी (d) प्रलेख न्यायालय। इन बिन्दुओं को संक्षेप में वर्णित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आधीन है परन्तु अपने से नीचे/अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है।

20. भारत का सामाजिक ढांचा जाति पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था जाति की वास्तविकता से अधिक सिद्धान्त की बात करती है।

जाति ऐसे परिवारों अथवा परिवारों के समूहों का एकत्रीकरण है जिनका एक संयुक्त नाम, संयुक्त पूर्वज होते हैं जो एक समांगी समुदाय का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक जाति व्यवस्था ने भद्दा खेल खेलना शुरू कर दिया है। चाहे चुनाव के समय उम्मीदवारों का चुनाव हो अथवा सरकारी पदों को भरना हो, जाति को प्राथमिकता दी जाती है। लोग भी उम्मीदवार की जाति देखकर मतदान करते हैं।

अथवा

आरक्षण नीति भेदभावपूर्ण संरक्षण पर आधारित है। समान परिस्थितियों के अभाव में अवसरों की समानता का परिणाम समानता को बढ़ाने के बजाय असमानता को मजबूत करना होता है।

भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है तथा महिला सशक्तीकरण के वायदे को पूरा करने के लिए महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। परीक्षार्थियों को आरक्षण नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने चाहिए।

वैकल्पिक मॉड्यूल I : विश्व व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र

21. एकध्रुवीयता का अर्थ एक ध्रुव पर आधारित विश्व से है जिसका उदय सोवियत संघ के विघटन से हुआ। एक ध्रुवीय विश्व का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमरीका कर रहा है।

22. संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत

    (क) विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना

    (ख) देशों के बीच युद्ध को टालना

    (ग) निशस्त्रीकरण

    (घ) आपसी सहयोग : आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि

    (ड.) विवादों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाना

    (च) जहां आवश्यक हो वहां शांति सेना को भेजना

23. परीक्षार्थियों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और नीतियों को उजागर करना चाहिए तथा दर्शाना चाहिए कि किस हद तक यह विश्व शांति स्थापित करने में सफल रहा है।

अथवा

परीक्षार्थियों को संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेन्सियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNCTAD का वर्णन करना चाहिए।

अथवा

वैकल्पिक मॉड्यूल II : भारत की प्रशासनिक व्यवस्था

21. नौकरशाही भारत की सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है अर्थात् लोक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका को तब परामर्श देते हैं, जब मंत्री कल्याण के कार्यक्रम अथवा नीतियों का निर्माण करते हैं।

22. जन शिकायतों के निवारण के लिए किए गए सुधार हैं :-

    (क) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकना

    (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति

    (ग) ओमबड्समैन नामक संस्थान को शुरू करना

    (घ) लोकपाल और लोक अदालत नियुक्त करना

    परीक्षार्थियों को उपरोक्त सुधारों का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए।

23. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग प्रशासनिक तथा इस प्रकार के उच्च पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं करवाता है। चुने गए उम्मीदवारों को सख्त प्रशिक्षण लेना होता है। यह अफसरों की पदोन्नति, निलम्बन और स्थानान्तरण इत्यादि के विषय में सिफारिशें करता है।

    संघ लोक सेवा आयोग देश को अत्यधिक कुशल प्रशासक देने में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहा है।

अथवा

कैबिनेट सचिवालय के मुख्य कार्य हैं - (1) बाहर के देशों में प्रतिनिधि मण्डल भेजने के प्रस्ताव तैयार करना; (2) जांच पड़ताल के लिए सरकारी कमेटियों की नियुक्ति के प्रस्ताव तैयार करना; (3) पहले किए गए किसी निर्णय को बदलने का प्रस्ताव तैयार करना; (4) प्रशासनिक विभागों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर विचार करना तथा उन सब मामलों पर विचार करना जो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति कैबिनेट के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं तथा (5) अथवा अन्य कोई प्रासंगिक कार्य

परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।